राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– (1–2) 1384/2015 एवं 1514/2015.............. जिला ....डूंगरपुर....................................

उनवान : अनिल जांगिड़ पुत्र श्री सीताराम, जांगिड़ भवन, रतनपुर मोड़, नवाडेरा, डूंगरपुर

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक
2. महिपाल सिंह पुत्र दशरथसिंह राठौड़ निवासी नागौर
3. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाईनेन्शियल सर्विस लिमिटेड जरिये रवि कुमार, डूंगरपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य**	
20/06/2016	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें आयुक्त आबकारी, राजस्थान उदयपुर के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों में सुनवाई हेतु अपीलार्थी की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है। साथ ही प्रकरणों में आयुक्त, आबकारी विभाग के अपीलाधीन आदेशों से सृजित मांग राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा का सबूत भी संलग्न नहीं है। अपीलार्थी को 75 प्रतिशत जमा राशि का साक्ष्य एवं उपस्थित होने हेतु क्रमशः दिनांक 06.10.2015, 04.12.2015, 06.01.2016 एवं 23.05.2016 के लिये नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी ना तो अपीलार्थी द्वारा जमा राशि के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं एवं ना ही पैरवी हेतु उपस्थित हुआ है। आज दिनांक 20.06.2016 को भी अपीलार्थी को तीन बार आवाज लगवाई जाने पर भी उनकी ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अपीलों को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दोनों अपीलें एतद् द्वारा अदम पैरवी/अदम हाजिरी में खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो। 20/06/16 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 20/06/2016 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	